संख्या-2/2024/1145/60-1-2023

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 05 फरवरी, 2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत 0135-किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान एवं 0137-किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-332-33/निदे0म0क0/लेखा-बजट-वि0स्वी0/2023-24, दिनांक 18.10.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत 0135-किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान एवं 0137-किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में है।

2- उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र दिनांक 04.05.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में मिशन वात्सल्य- योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु कुल प्राविधानित धनराशि रू0 43226.18 लाख (रूपये चार अरब बत्तीस करोड़ छब्बीस लाख अट्ठारह हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु रू0 1,06,63,59,000/- (रुपये एक अरब छह करोड़ तिरसठ लाख उनसठ हजार मात्र) की वित्तीमय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-35-किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/गृहों के संचालन योजनान्तर्गत वेतन के भुगतान हेतु धनराशि रू0 13,48,65,119/- (रूपये तेरह करोड़ अड़तालीस लाख पैंसठ हजार एक सौ उन्नीस मात्र) एवं लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-37-किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन के भुगतान हेतु धनराशि रू0 3,20,86,364/- (रूपये तीन करोड़ बीस लाख छियासी हजार तीन सौ चैसठ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अर्थात कुल धनराशि रू0 16,69,51,483/- (रूपये सोलह करोड़ उनहत्तर लाख इक्यावन हजार चार सौ तिरासी मात्र) के सापेक्ष रू0 1669.50 लाख (रूपये सोलह करोड़ उनहत्तहर लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -:

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 एवं 10.05.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

(3) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) निदेशक, महिला कल्याण अपने स्तर पर भी भारत सरकार से संपर्क कर संतुष्ट हों लें कि RBI में प्राप्त धनराशि की तिथि प्रश्नगत स्वीकृत आदेश की ही है।

(9) उक्त शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी निदेशक, महिला कल्याण तथा वित्त नियंत्रक, निदेशालय महिला कल्याण की होगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021020135 (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	049	2235021020135	01	9,63,36,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	वेतन	(रुपये नौ करोड़ त्रेसठ लाख छत्तीस हजार मात्र)
2	049	2235021020135 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	03 मंहगाई भत्ता	2,97,78,000 (रुपये दो करोड़ सत्तानवे लाख अठहत्तर हजार मात्र)
3	049	2235021020135 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	06 अन्य भत्ते	2,55,000 (रुपये दो लाख पचपन हजार मात्र)
4	049	2235021020135 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	55 मकान किराया भत्ता	84,96,000 (रुपये चौरासी लाख छियानबे हजार मात्र)
	कुल			13,48,65,000 (रुपये तेरह करोड़ अड़तालीस लाख पैंसठ हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020137 (किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	049	2235021020137 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	01 वेतन	2,11,04,000 (रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख चार हजार मात्र)
2	049	2235021020137 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	03 मंहगाई भत्ता	97,35,000 (रुपये सत्तानवे लाख पैंतीस हजार मात्र)
3	049	2235021020137 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	55 मकान किराया भत्ता	12,46,000 (रुपये बारह लाख छियालीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कुल			3,20,85,000 (रुपये तीन करोड़ बीस लाख पचासी हजार मात्र)

महायोग	16,69,50,000 (रुपये सोलह करोड़ उनहत्तर लाख पचास हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगाा।

5- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-4-208-एक्स-2023-24, दिनांक 30.01.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

संख्या-2/2024/1145(1)/60-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।